भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/सीजी/वि.सभा बिहार/2015-सीसीएस दिनांकः 18 सितम्बर, 2015

सेवा में,

सचिव,
रेलवे बोर्ड,
रेल भवन,
नई दिल्ली।

विषयः- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के आपके पत्र सं. टीसीएस/2221/15/ वीआईपी/12 को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मामले की जांच के अनुसरण में आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए हैः-

(i) यह सूचना उपलब्ध करवाई जाए कि क्या (i)दिनांक 9 सितम्बर, 2015 के अपराह्न 2:30 बजे आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाने के बाद भी विशेष रेलगाड़ियों का आवागमन हुआ और (ii) आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसे आवागमन के संबंध में अनुमति क्यों नहीं ली गई थी, और

(ii)यह सुनिश्चित किया जाए कि आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की समयावधि के दौरान अर्थात् दिनांक 09.09.2015 से 12.11.2015 तक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना बिहार में किसी भी स्टेशन से छूटने वाली या राज्य के बाहर से बिहार में किसी भी स्टेशन के लिए आने वाली किन्ही भी विशेष रेलगाड़ियों को कोई विशेष छूट न दी जाए।

भवदीय

(के. अजय कुमार)

प्रधान सचिव